UPMI010033302026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मीरजापुर।

पीठासीन अधिकारी : अनुपम कुमार
(उच्चतर न्यायिक सेवा)

<u>प्रथम नियमित जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1170/2026</u>

आशीष मिश्रा उम्र लगभग 40 वर्ष पुत्र माता सहाय मिश्रा, निवासी ग्राम–अकोढ़ी, थाना–विन्ध्याचल, जनपद–मीरजापुर। हाल पता–चढैचा, थाना–जिगना, जिला–मीरजापुर।

बनाम

उ0प्र0 सरकार

मु0अ0सं0–**156** सन् **2026**
धारा–109, 351(3) भा0न्याय संहिता
थाना–विन्ध्याचल, जनपद–मीरजापुर।

अभियुक्त की ओर से– श्री हीरालाल पाण्डेय, श्री पवन कुमार पाण्डेय, श्री आकाश प्रताप सिंह व श्री राजाराम यादव (अधिवक्तागण)
अभियोजन की ओर से– श्री आलोक राय, जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), मीरजापुर।
वादी की ओर से– श्री अनूप मिश्रा एवं श्री आकाश द्विवेदी (अधिवक्तागण)

<u>जमानत प्रार्थना पत्र का निस्तारण</u>

<u>दिनांकः–01.07.2026</u>

1. यह प्रथम नियमित जमानत प्रार्थना–पत्र प्रार्थी/अभियुक्त आशीष मिश्रा की ओर से मु0अ0सं0–156 सन् 2026, धारा–109, 351(3) भा0न्याय संहिता, थाना–विन्ध्याचल, जिला–मीरजापुर में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. जमानत प्रार्थना–पत्र के साथ प्रार्थी/अभियुक्त के पैरोकार का शपथ पत्र दाखिल है, जिसमें यह कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र है। इस जमानत प्रार्थना–पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई जमानत प्रार्थना–पत्र किसी अन्य न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित नहीं है।

3. पुलिस प्रपत्र में अभियोजन कथन संक्षेप में यह है कि दिनांक 15.06.2026 को लगभग 3 बजे दोपहर में वादी मुकदमा विजय कुमार गुप्ता से विपक्षी आशीष मिश्रा कहा कि उनके यहॉ पहले काम करते थे तो अब क्यों नहीं करोगे। इसी बात को लेकर पहले जान से मारने की धमकी दिया और जान से मारने की नीयत से अपनी कार प्रार्थी के ऊपर चढ़ा दिया, जिससे सिर में गंभीर चोटें आयी है।

4. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र में मुख्य रूप से यह आधार लिये गये हैं कि प्रार्थी को

परेशान व हैरान करने की गरज से फर्जी रिपोर्ट दर्ज कराया गया है। तथ्य यह है कि घटना के दो माह पहले वादी ने प्रार्थी से एक लाख रूपया कर्ज लिया था और उसी का तगादा करने पर झूठा मुकदमा दर्ज कराया है। जिस वाहन से घटना होना कथित है, वह वैभव सिंह का है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं दर्शित है। वादी मोटर साइकिल से कहीं गिर गया, जिससे उसके सर में चोट आ गयी और रूपया हड़पने की नीयत से झूठी कहानी बनाकर रपट लिखा दिया। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज कराया गया है, जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। प्रार्थी आपराधिक प्रवृत्ति का नहीं है। तद्नुसार जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गयी है।

5. अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि अभियुक्त द्वारा काम करने के विवाद को लेकर वादी मुकदमा पर जान से मारने की नीयत से कार चढ़ा दिया गया, जिससे वादी मुकदमा के सिर में गंभीर चोटें आयी है। अभियुक्त का लम्बा आपराधिक इतिहास है। अभियुक्त आपराधिक प्रवृत्ति का है। अभियुक्त की भूमिका एवं कारित अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाय।

6. नियमित जमानत प्रार्थना–पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता, वादी मुकदमा के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के विस्तृत तर्कों को सुना तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट, केस डायरी तथा अन्य अभियोजन प्रपत्रों का परिशीलन किया।

7. प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त पर काम करने के विवाद को लेकर जान से मारने की नीयत से वादी पर कार चढ़ा कर चोटें पहुंचाने का अभियोग लगाया गया है। प्रस्तुत मामले में केस डायरी के साथ संलग्न वादी मुकदमा/मजरूब की चिकित्सीय परीक्षण आख्या के अनुसार उसे कुल चार चोटें आना दर्शित है, जिसमें चोट नं0–4 के सम्बन्ध में एक्सरे हेतु डॉक्टर द्वारा सलाह दी गयी है तथा सभी चोटों को साधारण प्रकृति का होना दर्शाया गया है। थाने की आख्या के अनुसार विवेचक द्वारा वादी/मजरूब को एक्सरे कराने हेतु बार–बार कहा जा रहा है किन्तु अब तक मजरूब के द्वारा एक्सरे नहीं कराया गया है। वादी मुकदमा के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौरान बहस एक अदद एक्सरे प्लेट प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि वादी द्वारा मेडिकल कालेज, मीरजापुर में अपना एक्सरे कराया गया है लेकिन डरवश उक्त एक्सरे प्लेट को विवेचक को प्राप्त नहीं करा पाया है। उक्त एक्सरे प्लेट के साथ कोई रिपोर्ट नहीं दाखिल किया गया है और न ही उक्त एक्सरे प्लेट केस डायरी का भाग है। अभियोजन/वादी के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त एक आपराधिक प्रवृत्ति का है, जिसके विरूद्ध 11 मुकदमों का आपराधिक इतिहास है। उक्त के सम्बन्ध में प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि दो मामलों में प्रार्थी के विरूद्ध आरोप

पत्र आने के पश्चात जमानत हो चुकी है, एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के मामले में पुलिस द्वारा अंतिम रिपोर्ट प्रेषित किया गया है तथा शेष मामले लघु धाराओं की है, जिनमें सात वर्ष से कम की सजा होना कथित किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त जिला कारागार में निरूद्ध है। अभियोजन की ओर से प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध प्रस्तुत मात्र आपराधिक इतिहास से प्रस्तुत मामले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

8. अतः मामले के उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में, मामले के गुण–दोष पर कोई विचार प्रकट किये बिना, यह निष्कर्ष निकल रहा है कि यह जमानत के लिये उपयुक्त मामला है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना–पत्र सशर्त स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त आशीष मिश्रा का मु0अ0सं0–156 सन् 2026, धारा–109, 351(3) भा0न्याय संहिता, थाना–विन्ध्याचल, जिला–मीरजापुर में प्रस्तुत प्रथम नियमित जमानत प्रार्थना–पत्र सं0–1170/2026 निम्न शर्तों पर स्वीकार किया जाता है :–

1. प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा मु0 1,00,000/– (एक लाख) रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं इतनी ही धनराशि के दो प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि में दाखिल किया जायेगा।
2. प्रार्थी/अभियुक्त भविष्य में इस तरह का कोई अपराध नहीं करेगा।
3. प्रार्थी/अभियुक्त किसी भी साक्षी को प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई धमकी, वचन या प्रवंचन नहीं करेगा और न ही साक्ष्य को विनष्ट करने में किसी प्रकार से लिप्त होगा।
4. प्रार्थी/अभियुक्त विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा और वह विचारण के दौरान प्रत्येक तिथियों पर व्यक्तिगत या जरिये अधिवक्ता उपस्थित रहेगा।
5. इस आदेश की एक प्रति ई–मेल के माध्यम से जेल अधीक्षक को प्रेषित की जाए।

दिनांकः 01.07.2026

(अनुपम कुमार)
सत्र न्यायाधीश,
मीरजापुर।
I.D.No.U.P.-1902

Dilip Kumar Srivastava (P.A.)

Digitally signed by ANUPAM KUMAR
Date: 2026.07.01 15:19:38 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court